बनाम

अप्रार्थीः– तहसीलदार ओसियां।

उपस्थित –

प्रार्थीनीगण की ओर से – अधिवक्ता श्री नैनूराम विश्नोई

अप्रार्थी की ओर से– सरकारी पैरोकार।

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956</u>

–::निर्णय::–

दिनांकः– 2/2/21

प्रार्थीनीगण द्वारा एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का इस आशय का प्रस्तुत किया कि– प्रार्थीनीगण व अन्य खातेदारान की संयुक्त खातेदारी व कब्जा काश्त सुदा भूमि खसरा नम्बर 5 रकबा 75 बीघा 08 बिस्वा, खसरा नम्बर 43 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 46 रकबा 164 बीघा 17 बिस्वा मौजा ग्राम झरिया पटवार हल्का एकलखोरी तहसील ओसियां की सरहद में आई हुई है। उक्त भूमि के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थीनीगण का नाम दर्ज करते वक्त राजस्व कर्मचारियों की भूलवश घरेलू बोलचाल का प्रार्थीनी संख्या 1 का नाम आयचुकी व प्रार्थीनी संख्या 2 को नाम कमला दर्ज कर दिया। लेकिन प्रार्थीनी संख्या 1का वास्तविक नाम केवल व प्रार्थीनी संख्या 2 का वास्तविक नाम प्रेमलता है। प्रार्थीनीगण के तमाम दस्तावेज आधार कार्ड, राशन कार्ड इत्यादि में केवल व प्रेमलता दर्ज है। उक्त राजस्व रेकर्ड में नाम त्रुटि केवल मात्र राजस्व कर्मचारियों की भूल के कारण हुई है जो सद्भाविक त्रुटि है जो वर्तमान में उसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि प्रार्थीनीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीनीगण की खातेदारी व कब्जा काश्त सुदा भूमि खसरा नम्बर 5 रकबा 75 बीघा 08 बिस्वा, खसरा नम्बर 43 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 46 रकबा 164 बीघा 17 बिस्वा मौजा ग्राम झरिया, पटवार हल्का एकलखोरी तहसील ओसियां में प्रार्थीनी संख्या 1 का नाम आयचुकी व

Scanned with CamScanner

प्रार्थीनी संख्या 2 का नाम कमला दर्ज कर रखा है जो गलत है उसके स्थान पर प्रार्थीनी संख्या 1 का वास्तविक नाम केवल व प्रार्थीनी संख्या 2 का वास्तविक नाम प्रेमलता दर्ज किया जाकर राजस्व रेकर्ड दुंरस्त किये जाने का आदेश सादिर फरमाया जावें, तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करवाया जावें।

यह है कि उक्त प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिये नोटिस अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से सरकारी पैरोकार उपस्थित हुए। अप्रार्थी की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें अप्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थीनी संख्या 1 का नाम आयचुकी के स्थान पर केवल व प्रार्थीनी संख्या 2 का नाम कमला के स्थान पर प्रेमलता दर्ज करने की अनुशंसा की।

यह है कि बहस अधिवक्ता प्रार्थीनीगण सुनी गई बहस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया जिससे यह स्पष्ट है कि प्रार्थीनीगण का वास्तविक नाम केवल व प्रेमलता है, प्रार्थीनीगण का प्रार्थना पत्र युक्तियुक्त आधारों पर आधारित होने से प्रंार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

–::आदेश::–

अतः प्रार्थीनीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीनीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 5 रकबा 75 बीघा 08 बिस्वा, खसरा नम्बर 43 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 46 रकबा 164 बीघा 17 बिस्वा मौजा ग्राम झरिया, पटवार हल्का एकलखोरी तहसील ओसियां जिला जोधपुर के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थीनी संख्या 1 का नाम आयचुकी के स्थान पर वास्तविक नाम केवल व प्रार्थीनी संख्या 2 का नाम कमला के स्थान पर वास्तविक नाम प्रेमलता दर्ज किया जाकर रेकर्ड दुरस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। पालना हेतु तहसीलदार ओसियां को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

आज दिनांक 2/2/21 को खुला न्यायालय में आदेश सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

Scanned with CamScanner